

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2019/60226
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2019/50840

दिनांक: 10.12.2019

अपीलकर्ता : श्री तरुण कुमार,
288, एल.आई.जी. फ्लैट्स,
हस्तसाल, उत्तम नगर,
दिल्ली - 110059.
मो0 - 9650767076.

निर्णय की तारीख: 10.12.2019

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.10.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.11.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री सी. विनोद बाबू
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.11.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में कार्यरत लीगल कंसलटेंट से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2019 को सूचना प्रदान की गई है। श्री सी. विनोद बाबू द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

शान्ति प्रिय बेक 10.12.19

अपर सचिव एवं

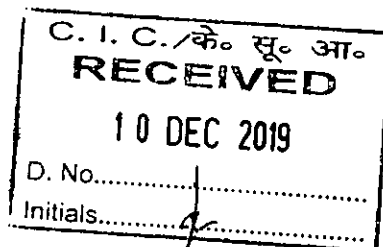
प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री सी. विनोद बाबू, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (Admin), केन्द्रीय सूचना आयोग।

10/12/2019



10/12/19